अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईटः– http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः– hrd.cce/gmail.com **फोन न. 0141–2706736**(O)

क्रमांकःएफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21–00638/पार्ट–1/ दिनांक हस्ताक्षर दिनांक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(नियमित/राजसेस/कृषि/विधि)
राजस्थान

विषयः– सत्र 2025–26 में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र राजकाज रेफरेंस नम्बर 16203095 दिनांक 29.06.25

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा सत्र 2025–26 में महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त के क्रम में निम्न प्रकरणों में पूर्व में दिनांक 29.06.2025 को जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये पुनः विज्ञापन जारी कर **आवश्यकतानुसार** गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेः–

01. दिनांक 29–06–2025 के उपरान्त खोले गये नवीन महाविद्याय एवं नियमित तथा राजसेस महाविद्यालयों में खोले गये नवीन संकाय/विषयों में विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

02. राजकीय महाविद्यालयों (नियमित/राजसेस) में ऐसे विषय/संकाय जिनमें विज्ञापन जारी किये जाने के उपरान्त गेस्ट फैकल्टी द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है अथवा गेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया हैं, में आवश्यकतानुसार पुनः गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

03. महाविद्यालय में संचालित ऐसे नियमित विषय जिनमें स्वीकृत पदों के विरूद्ध एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है, में स्वीकृत पदों की संख्या के विरूद्ध एक–एक गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित कर

Signature valid
Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.24 10:28:48 IST
Reason: Approved

अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। कार्य व्यवस्था के तहत शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित नहीं किया जाना है।

उक्तानुसार विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी करना एवं आवेदन पत्रों की पात्रता की जाँच तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित जिला स्तरीय DRAC कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्नानुसार समय सारणीनुसार किया जावेगा :—

विज्ञापन जारी किये जाने की दिनांक	26 सितम्बर, 2025 तक
आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अन्तिम दिनांक	03 अक्टूबर, 2025 तक
आवेदन पत्रों की जॉच कर पैनल का अनुमोदन किये जाने की दिनांक	07 अक्टूबर, 2025 तक
संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने की दिनांक	आवश्यकतानुसार

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. समस्त जिला स्तरीय DRAC महाविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
02. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.24 10:28:48 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रंमाक : प.10(17)शिक्षा/ग्रुप–3/2021–01971 पार्ट–(1) जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–सत्र 2025–26 (01 जुलाई, 2025 से) में विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक : एफ 1(02)विद्यासंबल/आकाशि/गै.फै./दिशानिर्देश/21–00638/पार्ट (1) दिनांक 20.06.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि आगामी सत्र 2025–26 (01 जुलाई, 2025 से) में राजकीय महाविद्यालयों (राजसेस सोसायटी सहित) में रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए, इन महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना के तहत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में विहित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ही लिये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व आवेदन (गेस्ट फैकल्टी से पूरे सत्र हेतु आवेदन एक बार ही आमंत्रित किये जावेंगे) प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुये गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाकर, आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से प्रत्येक सेमेस्टर का अध्यापन कार्य करवाया जावें।
2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा पाठयक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित की गई अवधि ही मान्य होगी।
3. वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो, को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाना है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान के मूल निवासी को आवेदन किये जाने पर वरीयता दी जावेगी।
4. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जॉच किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही

Signature valid
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.06.27 13:21:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16191048

की जानी हैं तथा पैनल की जाँच एवं अनुमोदन, सम्बंधित जिला स्तरीय DRAC कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

5. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबंल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक गैस्ट फैकल्टी को सत्र 2025–26 में प्रति घंटा के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाना हैः–

प्रति घंटा मानदेय	**अधिकतम साप्ताहिक घंटे**	**अवधि**
800/–	14 घंटे	सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने/पाठयक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठयक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित अवधि, इनमें से जो भी पहले हो।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 07.08.2023 के बिन्दु संख्या 5(स) के अनुसार प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावें, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान किया जावें।

6. विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जावे।

7. उक्त योजना शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 07 **"यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा सत्र प्रणाली के अन्तर्गत सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने "पाठयक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठयक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित अवधि, इनमें से जो भी पहले हो मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।" तथा बिन्दु संख्या 08 "इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा"** के अध्याधीन रहेगी।

8. यह व्यवस्था पूर्णतया वैकल्पिक एवं अस्थायी है। नियमित नियुक्ति/स्थानान्तरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.06.27 13:21:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16191048

अतः आगामी सत्र जुलाई, 2025 से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य सत्र प्रारम्भ होने से पूर्ण कर लेवे तथा जिन कक्षाओं का अध्यापन कार्य शुरू होना है, उनमें आवश्यकतानुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार आमंत्रित किये जाने हेतु संबंधित प्राचार्यों को उक्तानुसारर दिशा–निर्देश जारी कर प्रति अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय,

(हरिताभ कुमार आदित्य)
शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.06.27 13:21:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16191048

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

क्र. सं.	शैक्षणिक रिकार्ड	स्कोर			
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = **21**	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = **19**	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = **16**	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = **10**
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = **25**	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = **23**	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग(असंपन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशित) से और 60 प्रतिशत से कम = **20**	
3	एम.फिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक = **07**		55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = **05**	
4	पी.एच.डी.	**25**			
5	**जेआरएफ सहित नेट**	**10**			
	नेट	**08**			
	स्लेट या सेट	**05**			
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	**06**			
7	शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)#	**10**			
8	**पुरस्कार**				
	अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अन्तरराष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	**03**			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	**02**			

 # तथापि यदि शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोटः–

(अ)	एमफिल पीएचडी	अधिकतम–	25 अंक
(ब)	जे आर एफ / नेट / सेट	अधिकतम–	10 अंक
(स)	अवार्ड की श्रेणी में	अधिकतम–	03 अंक

<u>संलग्न–02</u>

पैनल बनाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश

गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें।सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जानें है।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावें।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायें, एक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा तथा योजना के तहत आमंत्रित शिक्षक से निर्धारित शपथ पत्र (संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गेस्ट फैकल्टी के संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी हैः–

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमो के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधो/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः–

(a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो,

(b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(c) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।

(d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।

(e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियो/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।
उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यो/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

विद्या संबंल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संबंल का पैनल तैयार किया जाना है।

संलग्न—03

कार्यालय, प्राचार्य, ...

क्रमांकः— **दिनांकः—**

नाम..

पता..

....

विषयः— विद्या संबल योजनान्तर्गत (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी के रूप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित करने बाबत्।

संदर्भः— आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक ......दिनांक ...... के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि विद्या संबल योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय,............................. में विषय.................... में प्रति कालांश मानदेय रू. 800/— पर (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) अध्यापन कार्य हेतु दिनांक .... से .... के मध्य उपस्थित होकर महाविद्यालय में अपने मूल दस्तावेजों की जॉच एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र **(100/— स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित किया हुआ)** उपरान्त अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त समझा जावेगा साथ ही समस्त दस्तावेजों के सही पाये जाने की स्थिति में ही आमंत्रण मान्य होगा।

प्राचार्य

राजसेस अधीन महाविद्यालय/नोडल महाविद्यालय

<u>संलग्न–04</u>

<u>*शपथ*– पत्र</u>

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी......................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (संस्थान का नाम)........... में दिनांक.... .... को प्रति कालांश के आधार पर सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने/पाठयक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठयक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित अवधि, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया हूं।

1. यह है कि मैंने................................संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक....................के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू. सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं, करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा सत्र प्रणाली के अन्तर्गत सेमेस्टर की परीक्षा प्रारम्भ होने/पाठयक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठयक्रम पूर्ण करवाये जाने हेतु निर्धारित अवधि, इनमें से जो भी पहले हो। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है अथवा हटाया जाता है, तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है ।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरान्त स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
13. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हू कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गेस्ट फैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

<u>*सत्यापन*</u>

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहित